MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Income-tax Act, 1961.

The motion was adopted.

SHRI R. VENKATARAMAN: Sir, I introduce** the Bill.

13.11 hrs.

(The Lok Sabha adjourned for Lunch till ten minutes past Fourteen of the Clock.)

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at fifteen Minutes past Fourteen of the Clock.

[SHRI CHANDRAJIT YADAV *in the Chair*]

BUSINESS OF THE HOUSE

MR. CHAIRMAN: The Minister of Parliamentary Affairs.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri): Mr. Chairman, Sir, I am on a point of order.

My point of order is under rule 288 and rule 289. This is an effort to by pass the Business Advisory Committee. Consistently, on three occasions, the hon. Minister has been coming to the House without consulting the Business Advisory Committee I read out rule 288:—

"It shall be the function of the Committee to recommend the time that should be allocated for the discussion of the stage or stages of such Government Bills and other business as the Speaker, in consultation with the Leader of the House, may direct for being referred to the Committee."

Then, rule 289 reads:—

"The recommendations of the Committee shall be presented to the House in the form of a report."

The meeting of the Business Advisory Committee was not called. I am a member of the Committee. We do not know what the hon. Minister has decided. The hon. Minister cannot take a decision with reference to the business for the next week. Therefore, I object to his statement being made regarding the business for the next week.

श्री राम विलास पासवान : (हाजीपुर) : सभापति जी, जैसा पारूलेकर जी ने कहा है, मैं भी उसमें अपने आपको समरपित करता हूं । जब कोई विशेष परिस्थिति नहीं थी और सारे के सारे मैम्बर यहां थे, माननीय मंत्री जी भी यहीं थे तथा मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बाडिंग नहीं है कि स्पीकर साहब न हों, तो उस अभाव में डिप्टी स्पीकर साहब नहीं कर सकते हैं । ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलानी चाहिए थी और बैठक बुलाने के बाद, उसमें डिसकशन होकर कोई रिपोर्ट आती तो उस को पार्लियामेंट में रखना चाहिए था और यदि कोई माननीय सदस्य कोई सुझाव देना चाहते तो वे सुझाव देते लेकिन ऐसी परिस्थिति में हम इसको रख रहे हैं कि यदि माननीय सुझाव देना शुरू कर देंगे, तो फिर आप किसी को रोक भी नहीं सकते हैं । ऐसी परिस्थिति में समय की बर्बादी होगी और मीनिंग नहीं रह जाएगा । इसलिए आप इसको पोस्टपोंड कीजिए और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाकर फिर वह रिपोर्ट हाउस में रखी जाए ।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING

श्री भीष्म नारायण सिंह : मान्यवर, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती हैं । अध्यक्ष महोदय का अधिकार है, वे बुलाते हैं । उसमें हम लोगों की तरफ से कोई आपत्ति का प्रश्न ही नहीं है । यहां सरकारी कामकाज के बारे में

**Introduced with the recommendation of the President.

वक्तव्य देने की बात है, यह बराबर दिया जाता रहा है। आप ने देखा होगा कि इस तरह का आब्जेक्शन लास्ट-टाइम भी हुआ था, तो सभापतिजी ने कहा था कि नहीं यह सरकारी काम काज है। अगले सप्ताह में सरकारी काम काज लेने का प्रस्ताव है, वह सरकार की जवाबदेही है और संसदीय कार्य मंत्री की जवाबदेही है, उसको सदन के समक्ष रखना, इसलिए उस अधिकार से मैं रख रहा हूं।

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: There are certain motions under rule 193. It will be necessary for us to tell the Business Advisory Committee as to what motions should be taken up. The hon. Speaker has said that next week he is going to admit, under rule 193, a motion on the killings of Harijans in Andhra Pradesh. There are so many other motions. It is not only the Government business.

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: Let the statement be made. So many problems will be automatically solved.

SHRI HARIKESH BAHADUR: (Gorakhpur): Hon. Minister can make a statement. But, we can also just put forward our point of view for discussion this week.

MR. CHAIRMAN: You have made your submission. Your name is on the list. You will get an opportunity.

SHRI HARIKESH BAHADUR: Unless the Committee report is there, how can we make suggestions? That is also a point. If that matter is not considered, how can we put forward our views?

MR. CHAIRMAN: Anyhow, I think that this is correct that the business of the House should go normally to the Business Advisory Committee and even if the Speaker is not present, the Deputy Speaker presides. I think that normally the meeting should be called. But, today is the last day of the week. For the next week, I think, whatever business has to be placed before the House, let the Minister place that business. Already ten Members have made their submissions. As a special case, I think you will agree with that.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 27th April, 1981, will consist of:—

1. Consideration of any item of Government Business carried over from the order paper of today.

2. Consideration and passing of:—

(i) The Disturbed Areas (Special Courts) Amendment Bill, 1981.

(ii) The Merchant Shipping (Amendment) Bill, 1981.

(iii) The Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 1981, as passed by Rajya Sabha.

(iv) The Sales promotion Employees (Conditions of Service) (Amendment) Bill, 1980, as passed by Rajya Sabha.

(v) The Food Corporations (Amendment) Bill, 1981.

(vi) The Marriage Laws (Amendment) Bill, 1981.

3. Discussion under Rule 193 regarding atrocities being perpetrated on the Adivasis in different parts of the country.

MR. CHAIRMAN: Normally, when the Business Advisory Committee recommends the business, the practice is that the Members of the Business Advisory Committee do not make suggestions here but this time the Business Advisory Committee did not meet and I find from the list that three Members of the Business Advisory Committee have also made submissions that is why I am saying that in the special situation I am allowing them also. I request Members to make only points. No speeches are needed. As the Minister has placed the items, so you can suggest that these items can also be considered in the House.

[Mr. Chairman]

Anyhow, Mr. Ram Vilas Paswan will speak.

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani): I seek one clarification. We are supposed to give notice before we make our submission. That is the usual practice. We hear the Minister. After hearing him on the business that he mentions, only then, certain points can be presented. In that case, after hearing those 10 Members with reference to the particular business that he has announced, other Members should also be allowed to raise their points. Otherwise, in the morning, I do not know what he is going to announce. How can I decide?

MR. CHAIRMAN: You might not have known what he is going to announce but you might have known your mind. You might be knowing what you want to discuss. I know you can make your submission. You are a very intelligent Member. You find all methods to put forth your views.

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने अगले सप्ताह के कार्य का जो विवरण दिया है, मैं उसमें दो विषय जोड़ना चाहता हूं। पहला विषय —एशियन गेम्ज के सम्बन्ध में और दूसरा —दिल्ली के ला-एण्ड-आर्डर के सम्बन्ध में ।

सभापति महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं और इस सदन को भी मालूम है कि एशियन गेम्ज का जो मामला है वह विकृत रूप ले चुका है। विकृत इस रूप में है कि उस के अब तक तीन अध्यक्ष बदल चुके हैं। पहले श्री विजय कुमार मल्होत्रा थे, उन को हटा कर श्री वी० सी० शुक्ला आये और अब उन को भी हटा कर श्री बूटा सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है, किसी दिन इनको भी हटाकर किसी चौथे व्यक्ति को बना दिया जाएगा। दूसरे देशों में—इसके बाद जहां ये खेल होने वाले हैं—वहां सारी तैयारियां हो चुकी हैं लेकिन यहां पर आपसी झगड़े के कारण सारा मामला खटाई में पड़ता जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सदन को बतलाना चाहूंगा कि दूसरे देशों में जहां जहां भी खेल होते हैं, वहां उन का एक अलग मंत्रालय रहता है लेकिन यहां एक अलग मंत्रालय खेलों का नहीं है बल्कि एक मंत्री हैं जो इस काम को भी देखते हैं। अब मंत्री के सिर पर पचासों काम हैं और उन के अलावा यह काम भी सौंप दिया गया है। इस में एक, दो रुपये का मामला नहीं है, एक हजार करोड़ रुपये का यह मामला है। किस प्रकार से इसका यूटीलाइजेशन हो, यह बात देखने की है। आप यह देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस गरीब देश के लोगों के पसीने की कमाई यह है और पूरे देश के गांवों में किस प्रकार की सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोग बगैर पानी के मर रहे हैं और लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है और विभिन्न भागों से भूख से लोगों के मरने की रिपोर्टें आना शुरू हो गई हैं। ऐसी स्थिति में एक हजार करोड़ रुपया खेलों के नाम पर बहा दिया जाए, यह कहां तक उचित है। खेल के नाम पर इस रुपये का सदुपयोग होगा, इसकी कोई सम्भावना नहीं है बल्कि इस रुपये के दुरुपयोग होने की पूरी संभावना है। ऐसी परिस्थिति में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है और सभापति महोदय, आप यह देखेंगे कि जहां कहीं भी ठेके के काम दिये जा रहे हैं वे बिल्कुल पक्षपातपूर्ण ढंग से दिये जा रहे हैं और भाई भतीजावाद चल रहा है।

सभापति महोदय : अब आप ने नेक्स्ट आइटम पर बोलिये ।

श्री राम विलास पासवान : इसलिए मेरा सुझाव है कि इस पर निश्चित रूप से बहस होनी चाहिए । इस देश में

आवश्यकता किस चीज की है। पहले लोगों को पानी देने की है या खेलों के नाम पर करोड़ों रुपये इस तरह से बहाने की है। खेलों की ही बात है, तो आप गांवों में व्यायामशाला खोलिए, गांवों में आप प्ले-ग्राऊण्ड बनाइए। वहां पर आप क्यों नहीं यह काम करते हैं। खिलाड़ी नीचे से जब तक पैदा नहीं होगा, तब तक हमारा काम न ही चलेगा। हिन्दुस्तान के बगीचे में दस, पांच कमल के फूलों को खिलाना और बाकी को गन्दी नालियों में रहने देना, हमारे जैसा आदमी बर्दास्त करने के लिए तैयार नहीं है। यह सदन सर्वोपरि है और इस पर निश्चित रूप से बहस होनी चाहिए।

दूसरा ला एण्ड आर्डर का मामला है। पूरे देश में ला एण्ड आर्डर की स्थिति बिल्कुल खराब हो गई है। डाकुओं से मुठभेड़ के नाम पर गरीबों का, हरिजनों का, आदिवासियों का कत्लेआम हो रहा है और सरकार कानों में तेल डाल कर, प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार सोई हुई है। और जगहों के बारे में तो कह दिया जाता है कि यह प्रदेशों का मामला है लेकिन मैं दिल्ली के बारे में, जहां के लिए पिछले दिनों भिंडर साहब ने, दिल्ली के पुलिस कमिशनर ने कहा था, कि विश्व की राजधानियों में दिल्ली सब से ज्यादा सुरक्षित राजधानी है।

आचार्य भगवान देव : (अजमेर) : सभापति महोदय, व्याख्या करने की क्या आप ने इन को परमिशन दे दी है। ये किस विषय पर बोल रहे हैं ?

सभापति महोदय : मैं देख रहा हूं।

श्री राम विलास पासवान : मैं यह कह रहा हूं कि प्रत्येक पेपर में आप यह देखिये कि यह निकला है, क्राइम इन देहली और इस का एक कालम बना हुआ है। यहां पर पार्लियामेंटरी एफयर्स मिनिस्टर बैठे हैं और वेंकटरमन साहब बैठे हैं।

सभापति महोदय : आप यह चाहते हैं कि इस पर बहस हो।

श्री राम विलास पासवान : जी, हां। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी कल के बारे में जो आज पेपर में निकला है, उस में यह है कि 24 घंटे के अन्दर तीन लाशें बरामद हुई हैं। यहां दिल्ली में प्रशासन की नाक के नीचे, प्रधान मंत्री और गृह मंत्री की नाक के नीचे और पार्लियामेंट की नाक के नीचे ये सारी चीजें हो रही हैं कि 24 घंटे के अन्दर तीन, तीन लाशें बरामद हुई हैं और जन जीवन त्रस्त है, आप लाख चाहें जो बोल लीजिए आज दिल्ली और पूरे देश में जो कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी है, तो इस मसले पर और एशियन गेम्स पर, इन दोनों पर बहस होनी चाहिए।

SHRI EDUARDO FALEIRO: (Mormugao): Mr. Chairman, Sir, I want to raise only one point which definitely concerns government business. To find a solution to the question that I am raising, all of us in this House must put our heads together. It is not at all a partisan issue.

The discussion on Demands for Grants has just been completed. We find that only nine Ministries' Demands for Grants have been discussed, and 24 Ministries' Demands for Grants have remained undiscussed. One of the main aspects of government business is to obtain sanction from Parliament for its budgetary expenditure. It is also our responsibility to give sanction for public expenditure, and that is Parliamentary control over government expenditure. Not only this year, but all these years, there has been a steady and also a sharp deterioration of this control of Parliament over gvernment expenditure. This is a fact in

[Shri Eduardo Faleiro]

India; this is a fact in every country wherever Parliamentary democracy exists. Because of this sharp deterioration, there is no control actually over government expenditure. Not only are the Demands for Grants of only a few Ministries discussed, but even, in respect of the Demands for Grants which are discussed, most of the Members are allowed to speak only for five minutes or so; you cannot have any debate of discussion worth the name in depth under these circumstances. For this reason, the Commonwealth Speakers' Conference a couple of years ago, in Canberra had strongly recommended a Committee system, a system of Standing Committees, subject-wise, with reference to the various Ministries which are constituted, so that the discussion should be in depth and suggestions can be made which the Government could also accept and Members also develop some level of expertise...

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI R. VENKATARAMAN): You may raise it when you speak on the Finance Bill.

MR. CHAIRMAN: You can take note of his point.

SHRI R. VENKATARAMAN: If he speaks on the Finance Bill, I may also make some observations.

SHRI EDUARDO FALEIRO: Then I will raise it on Finance Bill.

MR. CHAIRMAN: All right, Mr. Harikesh Bahadur.

SHRI HARIKESH BAHADUR: In fact there had not been a discussion on the Demands for Grants of the Ministry of Education for the last two years. At the same time, reports of the University Grants Commission for the years 1978-79 and 1979-80 were not discussed. Therefore, I would like to suggest that time should be provided for discussion of these reports of University Grants Commission because education is a subject of vital importance. I have already given a motion also on this and I have been continuously representing and telling in all the Business Advisory Committee meetings and whenever I have got an opportunity to speak here, I have spoken. I do not know whether the Government is going to accept it. Very humbly I request the hon. Minister for Parliamentary Affairs that it should be given time.

The second thing I want to raise is that the prices of essential commodities are going up and especially, sugar is neither available nor its prices are controlled properly because somewhere the prices of sugar have gone up to Rs. 30 to 40...

SHRI RAM VILAS PASWAN: In Ranchi it is Rs. 40.

SHRI HARIKESH BAHADUR: Yes, we read in papers that in Ranchi it is sold at Rs. 40. Therefore, I would like to urge upon the Government to provide time for a discussion in any form on the sugar prices and its non-availability. I hope these two suggestions will be accepted.

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति जी, मैं दो सुझाव देना चाहता हूं। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच घाघरा नदी के किनारे अवस्थित दियारे में बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा-विवाद के झगड़े का निपटारा करने के लिये स्वर्गीय पंडित नेहरू के समय "त्रिवेदी आयोग" नियुक्त हुआ था। जिसने अपनी संस्तुति भी प्रस्तुत की थी किन्तु वह विवाद आज भी कायम है। दोनों सम्बन्धित राज्य एक दूसरे पर संस्तुतियों का कार्यान्वयन न करने का आरोप लगाते हैं। परिणाम किसानों को भुगतना होता है। फसल कोई लगाता है और काटता कोई और है। अत: इसको निपटाने के लिए अगले सप्ताह के कार्यक्रम में मैं इस विषय को सम्मिलित करने का आग्रह करता हूं।

दूसरे समस्तीपुर रेलवे स्टेशन और कार्यालय के विस्तार के लिये ग्रामीणों की जीविका का एक मात्र साधन जमीन अर्जित कर ली गयी थी। उसके विस्थापितों के पुनर्वास और उनके नियोजन का कोई उपाय नहीं किया गया है। मैं आग्रह करता हूं कि अगले सप्ताह के कार्यक्रम में इसे भी सम्मिलित किया जाये।

SHRI AJIT KUMAR SAHA (Vishnupur): I would like to make two suggestions and request the Government to consider them sympathetically.

The first one is a comprehensive legislation for the Bidi workers. Sir, as you know, Bidi making is an industry and 40 lakhs workers are employed in this industry. Last year the then Labour Minister, Mr. Anjiah in reply to my questions said that the Government is thinking of bringing forward a comprehensive legislation. So I request the Government to bring a legislation in the coming session of the Parliament.

My second point is about the nationalisation of the wolfram mine of Chanda Pathar in the district of Bankura of West Bengal. Already the Government has taken over wolfram mines in Rajasthan. I would request the Government to bring forward a bill to nationalise the said mines in West Bengal.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

श्री रामावतार शास्त्री। शास्त्री जी, मेरा ख्याल है कि आपका गला खराब है, इसलिए आप थोड़ा-सा बोलिये।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): मैं सिर्फ दो ही बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। यह बात अच्छी हुई है कि अगले सप्ताह में, आदिवासियों पर जो हमले हो रहे हैं उनके बारे में बहस होगी। यह अच्छी बात है और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन मैं उसी तरह का एक महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहता हूं। पूरे हिन्दुस्तान में किसानों का कत्लेआम हो रहा है। पुलिस और जमींदार मिल कर के कत्लेआम कर रहे हैं। हमारे सूबे बिहार में पिछले एक साल में 50 से ज्यादा किसान और खेतिहार मजदूर मारे गए हैं। हर जगह इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। तमिलनाडु में, कर्नाटक में और अभी अखबार में पढ़ा है कि स्वयं प्रधान मंत्री के चुनाव क्षेत्र मेडक में 3 किसानों की हत्या कर दी गई।

सभापति महोदय: ठीक है, इसकी चर्चा आपने कर दी है।

श्री रामावतार शास्त्री: नहीं, इसकी चर्चा ढंग से नहीं हुई थी।

सभापति महोदय: यह चर्चा का विषय नहीं है। आल-रेडी आपने मेंशन कर दिया है।

श्री रामावतार शास्त्री: आपने किसी को नहीं रोका।

सभापति महोदय: यह विषय इस वक्त चर्चा का नहीं है। सुबह चर्चा की थी—कहा गया था कि आप इसके ऊपर सवाल ....

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री: जब किसानों की बात है तो।

सभापति महोदय: मुझे बताया गया है कि आपने डिप्टी स्पीकर साहब से बात की थी। इसलिए चैंबर में जो हो उसका आदर किया जाना चाहिए।

श्री रामावतार शास्त्री: मैंने उसे इस तरह से नहीं माना।

सभापति महोदय: कैसे भी माना हो, लेकिन इसकी चर्चा की जरूरत नहीं है। इस पर आप समय न लें।

श्री रामावतार शास्त्री: इस तरह की घटनाएं जो घट रही हैं वे इस लिए भी ज्याद

[श्री रामावतार शास्त्री]

रियस हैं क्योंकि वे प्रधान मंत्री के क्षेत्र में भी हो रहा है। इसलिए मैं इसे अंडर-लाइन कर रहा हूं और इस पर बहस होनी चाहिए।

एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जिससे पूरे देश को चिंता है। हमारे देश में सी०आई०ए० का अड्डा मजबूत होता जा रहा है। वे कंप्यूटर लगा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री ने मेरे और दो अन्य सदस्यों के सवाल के जवाब में 22 अप्रैल को स्वीकार किया है कि अमरीका की तरफ से उनकी एंबेसी में कंप्यूटर लगाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में मैं अखबार का एक उद्धरण पढ़कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। "प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी कल लोकसभा में एक लिखित सवाल के उत्तर में इस कंप्यूटर की कहानी सही बतायी थी। उनके उत्तर से यह भी आभास मिलता है कि इस कंप्यूटर को लांगेली स्थित सी० आई० ए० के मुख्यालय से भी बड़ी जल्दी जोड़ दिया जाएगा।"

इसी प्रकार से बहुत बड़ा जवाब है। मैं पूरा जवाब न पढ़कर थोड़ा सा और बताना चाहता हूं। यह किन-किन कार्यों के लिए लगाया जा रहा है--

(1) व्यक्तियों के बारे में जानकारी संबंधी फाइल,

(2) प्रोपर्टी इन्वेंटरी स्टेट्स फाइल,

(3) आवासीय देखरेख संबंधी फाइल,

(4) स्पेन तथा अमरीकी दूतावास के अन्य प्रकाशनों के लिए ग्राहकों की सूची,

(5) अमरीकी केन्द्र में 'वर्ल्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन्स'।

इस तरह के अड्डों से खतरा है। अभी देख रहे हैं कि अमरीका पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, उससे भी देश को खतरा है तो यह तो देश के अंदर हो रहा है तो इसलिए यह पूरे देश के लिए चिंता की बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस सवाल पर एक विशेष बहस होनी चाहिए, जिससे हम इस देश की हिफाजत के लिए एक व्यावहारिक कदम उठा सकें।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : सभापति जी मैं अगले सप्ताह के कार्यक्रमों की सूची में दो विषय जोड़ना चाहता हूं। पहला विषय है--अवकाश प्राप्त फौजी जवानों की पेंशन के सम्बंध में। सी० डी० ए० पेन्शन इलाहाबाद में 1975-76 से ही कर्मचारियों द्वारा ओवर टाइम काम लिया जा रहा है और प्रतिदिन उनसे 3-4 घंटे जबरिया काम कराया जाता है जिसमें पहले एक घंटा बराबर उनसे बेगारी ली जा रही है जिसका उनको कोई भत्ता नहीं मिल रहा है। वे जो काम करते हैं उनको कोई मजदूरी उनको नहीं मिलती है और 3 घंटे बराबर उनसे ओवर-टाइम कराया जाता है। मजदूरी तो देते हैं लेकिन उनको ले कर कर्मचारियों में काफी टेंशन हैं। देश के करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। इलाहाबाद के इस आफिस में एक हजार से ले कर डेढ़ हजार लोगों से ओवर टाइम कराया जाता है। इसके कारण काम का स्तर भी नीचे गिरता है और कर्मचारियों पर ओवरटाइम की वजह से वर्क लोड भी बढ़ता है। जब कर्मचारियों द्वारा विरोध होता है तो कहा जाता कि वह ट्रांस्फर होगा। वर्क ट्रांस्फर के बजाय मैं चाहता हूं कि और लोगों को रखा जाए और लोगों को एम्प्लायमेंट दिया जाए। रोज इस सब को ले कर वहां सभाएं होती हैं स्ट्राइक होती है रोज हड़ताल होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और राष्ट्रीय महत्व का सवाल है। इस सवाल को भी अगले सप्ताह की सूची में शामिल किया जाना चाहिये।

खुशी की बात है कि संसदीय कार्य मंत्री ने हरिजनों आदिवासियों पर होने वाली एट्रासिटीज का विषय भी जोड़ लिया है । जब वह आंध्र-प्रदेश के पंद्रह आदिवासियों की बात करते हैं तो मैं चाहता हूं कि कर्नाटक के अलम्मा मंदिर में प्रतिवर्ष पांच से छः हजार हरिजन आदिवासी कमजोर वर्ग अल्प-संख्यक लड़कियों को जो देवदासी बना दिया जाता है मंदिर में उनके साथ बलात्कार किया जाता है और उनको देश के विभिन्न वैश्यालयों में भेज दिया जाता है और यह जो परम्परा है यह आजादी के बाद से भी इसी ढंग से चली आ रही है और हमारे माथे पर एक महान कलंक है इस पर भी विचार होना चाहिये और इसको भी इसके साथ जोड़ा जाना चाहिये । गुजरात की तरह से अलम्मा मन्दिर को ले कर यह प्रक्रिया तेजी से बन रही है । सब से बड़ा इसका प्रमाण इलाहाबाद का मेडीकल कालेज है । वहां पर दर्जनों लड़कों के हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं । दो की हालत तो गम्भीर है । वे हो सकता है मर भी गए हों या मरने वाले हों । इस देश में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हो रही है लोगों में बड़ा आवेश है । हिन्दुस्तान में जगह जगह डा० अम्बेदकर जयन्ती मनाई जा रही है और इस इशू को मेन इशू बनाया जा रहा है । आंध्र प्रदेश के आदिवासियों की हत्या के मामले को जब लिया जा रहा है तो मैं चाहता हूं कि उसी के साथ साथ अलम्मा में जो अत्याचार इन वर्गों के लोगों के साथ हो रहे हैं उसको भी इसके साथ जोड़ा जाए ।

श्री विजय कुमार यादव (नालंदा) : मैं भी अगले सप्ताह की कार्रवाई में चाहता हूं कि दो विषय जोड़ लिए जाएं। अभी शास्त्री जी ने सी० आई० ए० की गतिविधियों के एक एसपैक्ट की चर्चा की है । मैं दूसरा एसपक्ट ले रहा हूं । अमरीका की कुख्यात गुप्तचर संस्था सी० आई० ए० का बदनाम अधिकारी जार्ज ग्रिफिन जो इस समय पाकिस्तान में सी० आई० ए० की गतिविधियों का संचालन कर रहा है और जो पेशावर से जनवादी अफगानिस्तान के खिलाफ तथा कथित विद्रोहियों की गतिविधियों का संचालन और नियोजन कर रहा है अब भारत आ रहा है और भारत को सी० आई० ए० का मुख्य अड्डा बनाने की साजिश कर रहा है । इससे देश की स्वतंत्रता और सुरक्षा पर गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। अतः इसे अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाना चाहिये ।

मैसर्स इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड के मजदूर 13 अप्रैल 1981 से संसद के सामने स्थित बोट क्लब पर अपनी छः सूत्री मांगों को ले कर धरना दे रहे हैं । इनकी मांगों में जिन मजदूरों का कार्य-काल 240 दिन हो गया है उन्हें नियमित करने छंटनी रोकने छांटे गए मजदूरों को काम देने तथा वाजिब मजदूरी और महंगाई भत्ता देने की मांगें प्रमुख हैं। इस सिलसिले में 12 अगस्त 1980 को माननीय सदस्य श्री इंदजीत गुप्त के साथ प्रधान मंत्री जी की बातचीत हुई थी । उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर इस में इंटरवीन करने की बात कही थी । अभी तक इस सिलसिले में कुछ नहीं हुआ है । मैं समझता हूं कि अगले सप्ताह की कार्रवाई में इसको भी रखा जाना चाहिये और इस पर भी विचार किया जाना चाहिये ।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अगले सप्ताह की कार्य सूची में कई महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख किया है । मैं भी दो विषय उसमें जुड़वाना चाहता हूं।

[श्री हरीश चन्द रावत]

पहला विषय है कल जैसे सदन में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि हमारे देश में एक प्रान्त में 46 राजनीतिक हत्यायें पिछले कुछ दिनों में हुई हैं और दूसरे प्रान्त के संदर्भ में भी इसी तरह की बात इस सदन में उठाई गई यह चिन्ता का विषय है । हमारे देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है विभिन्न विचारधाराओं पर आधारित राजनीतिक दल हैं जिनको सत्ता में आना है और शासन करना है । उसमें सत्तारूढ़ दल आपस में कमजोर पार्टनर को या विपक्ष के लोगों को मारेंगे राजनीतिक हिंसा करेंगे तो इस तरह से हमारे देश की प्रजातांत्रिक प्रणाली पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा । यह महत्वपूर्ण मुद्दा है मैं चाहता हूं कि इसे आगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किए जायें जिससे सदन में विचार हो सके ।

सभापति जी आप भी उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित हैं यह एक विशाल प्रान्त है वैसे ही इसकी गरीबी और दरिद्रता भी उतनी ही गहरी और विशाल है । वहां की गरीबी और कठिनाइयों के सन्दर्भ में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा का अवसर मिलता है लेकिन गहराई से उस पर चर्चा नहीं हो पाती है । मैं चाहता हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का हृदय है अगर हृदय कमजोर हो तो उसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये । उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल विन्ध्यांचल और उत्तरांचल के क्षेत्रों की गरीबी को दूर करने के संदर्भ में इस सदन में चर्चा होनी चाहिये ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : माननीय सभापति जी संसदीय कार्य मंत्री जी ने आगामी सप्ताह के लिए जो बिजनेस के बारे में अपनी रिपोर्ट रखी है उसमें मैं दो बातों को खास तौर से जोड़ना चाहता हूं ।

पहली बात तो यह है कि इस समय किसान की फसल विशेषकर गेहूं खलिहानों में पड़ा हुआ है । देश के अनेक राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश में बिजली केवल 3, 4 घंटे प्रतिदिन किसानों को मिल पाती है । गेहूं की फसल जल्दी उठाने को एक माह तक चौबीसों घंटे बिजली का मिलना आवश्यक है ताकि थ्रैशर चल कर गेहूं का दाना निकाला जा सके । इसलिए चौबीसों घंटे थ्रैशर चलाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली तुरन्त उपलब्ध कराई जाये और भविष्य में सिंचाई की सुविधा हेतु समस्त नये नलकूपों को बिजली के कनेक्शन देने की व्यवस्था की जाये । बिजली का कनेक्शन जिनमें देना है चाहे प्राइवेट ट्यूबवैल हो या सरकारी हो सबको बिजली के कनेक्शन दिये जायें । जिनके इंजन खराब हो गये हैं या नालियां बनने का काम है उनको अगली बरसात से पहले पहले बनवा लिया जाए ताकि सिंचाई की व्यवस्था हो सके ।

इसके अलावा मैं चाहता हूं कि देश में मल्लाह निषाद धीवर केवट बिन्द कहार आदि जो मछली व अन्य जल उत्पादन करते हैं उनकी संख्या करोड़ों में है । यह अत्यधिक पिछड़े हैं और इनकी सामाजिक व आर्थिक दशा अत्यधिक सोचनीय एवं दयनीय है । अतः इनके धन्धे उद्योग के उत्थान हेतु आवश्यक कदम उठायें जायें ।

यह दोनों बातें अगले सप्ताह की कार्य-सूची में जोड़े जाने चाहिये ।

SHRI BHISHAM NARAIN SINGH: Sir, I am extremeny grateful to the hon. Members for the valuable suggestions which they have made. I have noted the valuable suggestions. I will also go through the proceedings, and if it is necessary, I will bring it to the notice of the Business Advisory Committee.